

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / डीई-2 / 2018 /


1345  
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 19/7/18

डॉ.एस.के.चंदैया, तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनखेडी जिला होशंगाबाद वर्तमान में राजगढ के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4 / शिका / सेल-5 / फा.नं.-48 / होशंगाबाद / 2015 / 1425, दिनांक 19.06.2015, के द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। संचालनालय द्वारा विभागीय जांच के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हेतु विभागीय जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित विभागीय जांच आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल जांचकर्ता अधिकारी के स्थान पर डॉ.राधावल्लभ शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक को डॉ.एस.के.चंदैया के विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, होशंगाबाद यथावत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी रहेंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)

  
(डॉ.जे.पी.खरे)

संयुक्त संचालक (शिकायत)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / 4 / शिका. / डीई-2 / 2018 /  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र. ।
3. आयुक्त नरहार्पुरम संभाग, होशंगाबाद ।
4. कलेक्टर होशंगाबाद ।
5. उप संचालक, विज्ञप्त / गोपनीय / लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

7. डॉ.राधावल्लभ शर्मा, सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक (विभागीय जांच अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में तत्काल विभागीय जांच अधिकारी से संपर्क कर प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ़।
10. डॉ.एस.के.चंद्रैया, तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी वर्तमान में राजगढ़- द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद/राजगढ़।
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
12. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (शिकायत)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश